न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अरनोद जिला प्रतापगढ

निर्णय बाइजलाल श्री विमलेन्द्र राणावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी

प्रकरण स.41/20 दायर दिनांक –13.08.20

अनवान

1.श्री उदयलाल उर्फ उदा जाति मीणा निवारी टांडा – प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार अरनोद – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
श्री अर्जुन वेष्णव वकील प्रार्थी

–:निर्णय:– निर्णय दिनांक 12.04.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि प्रार्थी के नाम सयुक्त सामलाती खाते वाके ग्राम टांडा पटवार हल्का चुपना मे स्थित हो कर सिका विवरण निम्नानुसार है।

खाता नम्बर	आराजी नम्बर	रकबा
24	530	0.02 है0
	534	0.01है0
	535	0.67 है0
	562	0.17 है0
	573	0.09 है0
कुल किता–	5	0.96 है0

इसी प्रकार एक अन्य खाता ग्रम टांडा मे स्थित हो कर जिसका विवरण निम्नवत है।

खाता सख्या	आराजी नम्बर	रकबा
06	125	0.64 है0
	51	0.20 है0
	864/295	0.02 है0
कुल किता–5		0.86 है0

इसी प्रकार एक अन्य खाता ग्राम टांडा मे स्थित हो कर जिसका विवरण निम्नवत है।

खाता सख्या	आराजी नम्बर	रकबा
07	779	1.07 है0
कुल किता	01	कुल रकबा 1.07 है0

उक्त आराजी पर प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज हो कर काश्त करता चला आ रहा हैं उक्त आराजीयातं मे खाता सख्या 24, 6 व 7 पर प्रार्थी का नाम उदा पिता हिरा दर्ज रिकार्ड हो गया हैं

प्रार्थी का वास्तविक नाम राशन कार्ड, परिचय पत्र, व अन्य सरकारी दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम उदयलाल पिता हिराजी दर्ज रिकार्ड है। लेकिन उपर वर्णित राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम उदा पिता हिरा दर्ज रिकार्ड हो गया हैं जो कि गलत है।

प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी पर सरकारी गेर सरकारी योजनाओ का लाभ लेने अथवा सहकारी समिति अथवा बैंक से ऋण इत्यादी लेने काफी असुविधाओ का सामना करना पडता है। इस

Scanned with OKEN Scanner

वजह से प्रार्थी को सरकार द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओ का उचित लाभ नही मिल पा रहा है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम उदयलाल पिता हिराजी किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी अधिकारी हे कि मौजा टांडा के खाता सख्या 24,06, 0 7 के वर्तमान रोटेशन की जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम उदा पिता हिरा के बजाय उदयलाल पिता हिराजी दर्ज रिकार्ड कराया जावें और उसी अनुसार संशोघन कर राजस्व रिकार्ड मे संशोघन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी तहसीलदार अरनोद को सम्मन जारी किया गया । तहसीलदार अरनोद ने जवाब पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली बहस मे नियत की गई । बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तत्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मोजा टांडा प0ह0 चुपना के खाता सख्या 24,06,07 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी का नाम उदा पिता हिरा दर्ज रिकार्ड हो गया है जो गलत है। चुंकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा राशन कार्ड, परिचय पत्र, व अन्य सरकारी दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम उदयलाल पिता हिराजी दर्ज रिकार्ड है। जिससे उक्त आराजी पर सरकारी गेर सरकारी योजनाओ का लाभ लेने अथवा सहकारी समिति अथवा बैंक से ऋण इत्यादी लेने मे काफी असुविधाओ का सामना करना पडता है। इस वजह से प्रार्थी को सरकार द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओ का उचित लाभ नही मिल पा रहा है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम उदयलाल किया जाना आवश्यक है।

तहसीलदार अरनोद से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट अनुसार मोजा टांडा प0ह0 चुपना के खाता सख्या 24,06,07 मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी सयुक्त सह खातेदार है। जिसमे प्रार्थी का नाम उदा पिता हिरा दर्ज रिकाई हो गया है जो गलत है। प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजो मे उदयलाल पिता हिराजी दर्ज रिकार्ड हैं उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम उदा पिता हिरा के बजाय उदयलाल पिता हिराजी दर्ज रिकार्ड किया जाना उचित होना बताया हैं।

हमने प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेज,तहसीलदार अरनोद की रिपोर्ट अनुसार मोजा टांडा के राजस्व रिकार्ड मे खाता सख्या 24,06,07 मे स्थित आराजीयात मे प्रार्थी का नाम उदा पिता हिरा के बजाय **उदयलाल पिता हिराजी** शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार अरनोद को राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करने हेतू तहरीर जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 12.04.24 को सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद

Scanned with OKEN Scanner